



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
विद्युत भवन, हाथी भाटा, जयपुर रोड़, अजमेर-305001

क्रमांक: अ.वि.वि.नि.लि./अ.एवं प्र.नि/अ अ(योजना)/प्रे. 1 दिनांक: - 1 APR 2003

परिपत्र

विषय:- मार्च 2002 के दौरान कृषि कनेक्शन के बढ़े हुए भार के चार्जेंज 750/- प्रति हार्स पावर लेने बाबत।

मार्च 2002 के दौरान कृषि उपभोक्ताओं द्वारा स्वेच्छिक घोषणा कर भार बढ़ाने अथवा विजिलेंस चैकिंग के दौरान बढ़ा हुआ लोड पाये जाने पर यद्यपि निगम द्वारा किसी प्रकार की रियायत नहीं दी गयी थी परन्तु उक्त अवधि में जयपुर डिस्कॉम ने अपने आदेश आर.ई.ओ.-35 दिनांक 16.3.2002 तथा जोधपुर डिस्कॉम ने आदेश क्रमांक वाणिज्य-110 दिनांक 26.3.2002 के द्वारा कृषि उपभोक्ताओं द्वारा स्वेच्छिक घोषणा कर लोड बढ़ाने पर या विजिलेंस चैकिंग पर बढ़ा हुआ लोड पाये जाने पर 750/- रुपये प्रति अश्व शक्ति की दर से चार्ज कर नियमित करने का प्रावधान कर रखा था क्योंकि राजस्थान प्रान्त में विद्युत सब्सिडी सभी नियम समान होने चाहिए, को ध्यान में रखते हुए आदेश दिये जाते हैं कि मार्च 2002 के दौरान जिन कृषि उपभोक्ताओं ने स्वेच्छिक घोषणा करने पर अथवा विजिलेंस चैकिंग के दौरान बढ़ा हुआ भार पाये जाने पर जो अधिक राशि जमा करा दी है को 750/- रुपये प्रति हार्स पावर की दर से चार्ज कर शेष अधिक राशि को उनके आगामी विद्युत बिलों में छः समान किश्तों में समायोजित कर दिये जायें।


1.4.03
(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

72/user-Tanwar, Steno/F.RE-circular

Pl. deliver to SE (OPM),

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्रीमान् ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता (पवस), अ.वि.वि.नि.लि,अजमेर।
3. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार, अ.वि.वि.नि.लि,अजमेर।
4. श्रीमान् सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (उ.स./झु.स.),अविविनिलि,.....
5. श्रीमान् उप मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य/ सतर्कता),अ.वि.वि.नि.लि,
6. अधीक्षण अभियन्ता (), अ.वि.वि.नि.लि,
7. सचिव(प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
8. उपसचिव (प्रशा. एवं का.), अविविनिलि, अजमेर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व/आ. अंकेक्षण), अ.वि.वि.नि.लि.,
10. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
11. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
12. निजी सचिव-माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री जी के सूचनार्थ।
13. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।


अधीक्षण अभियन्ता (योजना)